न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–352/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00269)

01. दीनदयाल पुत्र स्व. खेमचन्द चौधरी, जाति जाट, निवासी जेवल्या का बास, हाल शिव एलाईयन्स, मौजामाबाद रोड़, दूदू जिला जयपुर।
02. दीपक पुत्र स्व. खेमचन्द चौधरी,
03. श्रीमती भौलीदेवी पत्नी स्व. खेमचन्द चौधरी, निवासीगण जेवल्या का बास हाल प्लॉट नम्बर 108, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर 200 फिट बाईपास हीरापुरा जयपुर।

---अपीलान्ट्स

बनाम

01. साहिल पुत्र स्व. जगन्नाथ जाति जाट,
02. श्रीमती धापू उर्फ गायत्री पत्नी स्व. जगन्नाथ जाति जाट,
03. भावना,
04. पुष्पा,
05. दुर्गा,
06. सीमा पुत्रीयान जगन्नाथ, 1 लगायत 6 निवासीगण प्लॉट नम्बर बी–3, जमना नगर सोडाला तहसील व जिला जयपुर।
07. शिवजीराम,
08. शंकरलाल पुत्रान स्व. सूरजकरण, जाति जाट,
09. बालूराम पुत्र स्व. भोलूराम, जाति जाट,
10. जीवण पुत्रान स्व. चौथू जाति जाट,
11. सीताराम
12. गंगाराम पुत्रान स्व. घीसा, जाति जाट,
13. रामनारायण,
14. सायर देवी पत्नी रामलाल, जाति जाट, 7 लगायत 14 निवासीगण जेवल्या का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
15. मिश्री लाल पुत्र स्व. हीरा लाल जाति खटीक, निवासी बिचून, हाल पुलिस चौकी गांधीनगर के सामने, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर।
16. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

----रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 03.03.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण में यदि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो पत्रावली संख्या 40/2015 उनवानी जगन्नाथ बनाम शिवजीराम व अन्य दिनांक 08.06.2015 को दर्ज हुई तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 16 की तामील हेतु दिनांक 26.06.2015 को पेश हुई उसके पश्चात् उक्त पत्रावली दिनांक 05.10.2015 को पुनः तारीख पर आयी है एव दिनांक 26.06.2015, 05.10.2015 के बीच कोई कार्यवाही नहीं हुई, दिनांक 16.11.2015 इन्तजार तामील, 07.12.2015, 28.12.2015, 11.01.2016 को पत्रावली पेश हुई तथा दिनांक 11.01.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 शिवजीराम की ओर से भैरूलाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया, पत्रावली वास्ते

P.T.O.

नकल दिलवायी जाने एवं शेष इन्तजार तामील दिनांक 02.02.2016 को पेश हो, तत्पश्चात् दिनांक 02.02.2016 को वास्ते तामील इन्तजार दिनांक 14.03.2016 को 2 से 5, 7, 8, 10, 12 की पुनः तलबी हेतु तलबाना पेश कर पत्रावली 28.04.2016 को पेश होने, दिनांक 28.04.2016 को पत्रावली में आगामी पेशी 12.04.2016 नियत की जिसके पश्चात पत्रावली में तामील हेतु दिनांक 12.04.2016 से आगामी पेशी 10.05.2016 नियत थी। इस प्रकार उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पक्षकारान कि तामील पूर्ण होने बाबत प्रक्रियाधीन थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.06.2016 को पत्रावली की आदेशिका इस प्रकार लिखी गई है कि "आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मौखमपुरा में पेश हुई व अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता उप./पैरोकार उप., जवाब पेश नहीं करना जाहिर किया, अप्रार्थी 2 लगायत 12 बावजूद तामील उपस्थित नहीं इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक रिकार्ड अनुसार पक्षकारों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल रहे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो। दिनांक 14.06.2016।" जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2016 न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के एवं लोक अदालत की भावना के विपरित पक्षकारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही एकतरफा पारित किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त प्रकरण में अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्ट 7 लागायत 16 के नोटिस कैम्प कोर्ट दिनांक 13.06.2016 को जारी किये है किन्तु अपीलान्टगण को जो नोटिस में पता अंकित किया है वह "प्लाट संख्या ए 84, पश्चिम् विहार कालोनी, 25 मंजिला के पीछे, केशोपुरा, अजमेर रोड़ जयपुर" लिखा है जबकि अपीलान्ट मूल रूप से ग्राम जेवल्या का बास के निवासी है तथा 2000 से 2007 तक दूदू कस्बे में तथा 2007 के पश्चात् प्लाट संख्या 108, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर, 200 फीट बाईपास हीरापुरा जयपुर में निवास करते है जबकि अपीलान्ट ने आज दिनांक तक उक्त पते पर निवास नहीं किया न ही अपीलान्ट का उस पते से कोई संबंध व सरोकार है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 लगायत 6 के पिता जगन्नाथ ने अपीलार्थी का गलत पता जानबूझकर लिखकर फर्जी रूप से रामस्वरूप नामक फर्जी व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा अविधिक रूप से तामील करवाई है जो कि आदेश 5 नियम 17 के जाप्ता दीवानी के सिद्धान्तो के विपरित है एवं अधिनस्थ न्यायालय से फर्जी तामील के आधार पर ही अपीलार्थीगण की एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तामीलकर्ता द्वारा केवल एक व्यक्ति के हस्ताक्षर लिये है बल्कि साधारण नियम सिविल 1968 के नियम 132 में उपबंधित है कि तामील कस्बे में उस स्थान के दो सामान्य निवासियों से अथवा गांव में सरपंच, पंच, पटवारी अथवा पड़ौसियों से प्राप्त किया जाए जबकि दिनांक 13.06.2016 की तामील बताई है उसमें केवल एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर है तथा उसके भी नाम पता, पिता का नाम मोबाईल नम्बर आदि कोई तथ्य वर्णित नहीं है, न ही तामील का परीक्षण हुआ है इस प्रकार प्रथम दृष्टा ही तामील फर्जी रूप से

क्षेत्रीय आयुक्त
जयपुर

करवाई गई है जो विधि विरूद्ध होना साबित है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की फर्जी तामील के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.06.2016 निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2016 को निरस्त फरमाया जावें जाकर पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड कर प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने बाबत आदेशित किय जावें।

रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगायत 6 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अप्रार्थीगण के स्व. पिता जगन्नाथ ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढ़ी का प्रस्तुत कर निवेदन किाय था कि ग्राम जेवल्या का बास, तहसील मौजमाबाद में उनकी आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 1.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173, 174 कुल किता दो कुल रकबा 2.0100 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिसके मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार वह रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व मौके पर काबिज है, प्रार्थना पत्र में यह तथ्य भी वर्णित किया गया कि अपीलार्थीगण व अन्य पड़ौसी काश्तकार अक्सर सींव सम्बन्धी वाद विवाद आये दिन करते रहते हैं, कृषि भूमि की सींव का कोई विवाद न हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद समाप्त हो सके। यह तथ्य भी प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि तहसीलदार मौजमाबाद के आदेश क्रमांक एलआर/14/2242 दिनांक 12.05.2014 की पालना में पटवार हल्का द्वारा दिनांक 01.07.2014 को सीमाज्ञान करवाये जाने के पश्चात् भी अपीलार्थीगण सीमाज्ञान को मानने को तैयार नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की सोमाओं पर पत्थरगढ़ी कराने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के बाद न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये एवं दिनांक 11.01.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से भैरूलाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रकरण का परीक्षण करने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है जिस कारण अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के अधिवक्ता ने कथन किया है अपीलार्थीगण की ओर से एक तर्क यह दिया गया है कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी तत्समय नहीं हुई एवं जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसके संदर्भ में यह तथ्य अंकित करना आवश्यक है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील दिनांक 12.09.2018 को प्रस्तुत की गई जबकि उससे पूर्व दिनांक 18.06.2018 को तहसीलदार मौजमाबाद के आदेश की अनुपालना में मौके पर पत्थरगढ़ी करने हेतु पहुँचे दल को अपीलार्थी भोली देवी जो इस अपील में अन्य अपीलार्थीगण की माँ है ने मौके पर फसल बोने, अकुंरित होने का तर्क देकर व जरीब चलाने पर फसल का नुकसान होने का तर्क देकर फसल कटने के बाद उपखण्ड अधिकारी दूदू के आदेशानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने में अपनी कोई आपत्ति नहीं होना बताया है जो फर्द मौका दिनांक 18.06.2018 से स्पष्ट है एवं उसके हस्ताक्षर है। उन्होने आगे

P.T.O.

कथन किया है कि उक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि अर्थात इस अपील को प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलार्थी को के अपीलाधीन निर्णय से कोई एतराज नहीं था एवं ना ही गया बल्कि उक्त निर्णय की पालना सुनिश्चित करने का किया गये उसके बावजूद अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अपने पूर्व के कथनों से परे हटकर प्रस्तुत की है जो इसी किये जाने योग्य है। दिनांक 18.06.2018 को उपखण्ड अधिकारी दूदू मौके पर एतराज किया तथ्य लिखित में स्वीकार विधि विरूद्ध तरीके से आधार पर भी खारिज

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण का यह तर्क कि उन्हे बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, बेबुनियाद है क्योंकि उपरोक्तानुसार तामिल सम्यक रूप से हो चुकी है एवं इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि स्वयं अपीलार्थीगण ग्राम जैवल्या का बास में निवास नहीं करते एवं दूसरी ओर उन्हें उपखण्ड अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की जानकारी भी नहीं थी, तो फिर दिनांक 18.06.2018 को सीमाज्ञान मौके की कार्यवाही पर वे उपस्थित क्यों हुए जबकि उन्हें तो जानकारी ही नहीं थी, जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रकरण की जानकारी उन्हें प्रारम्भ से ही थी। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक अभिवाक यह लिया गया है कि निर्णय से पूर्व अप्रार्थीगण के पति/पिता श्री जगन्नाथ का निधन हो चुका था इसलिए निर्णय दुषित है तो उस सम्बन्ध में यह निवेदन करना आवश्यक है कि मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध बिना सुनवाई निर्णय विधि विरूद्ध होता है जबकि इस प्रकरण में अपीलार्थीगण की ओर से कोई मृतक नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण के पिता की मृत्यु अवश्य हुई थी परन्तु प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी दिनांक 08.06.2015 को प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 11.01.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थिति दी गई एवं तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं शेष अप्रार्थीगण अर्थात अपीलार्थीगण व अन्य के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही संस्थित की गई एवं तत्पश्चात दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं को सुना जाकर व तहसीलदार की रिपोर्ट देखी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत एवं सही है एवं उसमें कोई विधिक भूल नहीं है। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 128 के अनुसार सीमा सम्बन्धी समस्त विवाद भू अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय करने का प्रावधान है एवं धारा 111 के अनुसार किन्हीं सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर जहां तक संभव हो, वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर विवादों को निपटायेगा और जहां तक संभव ना हो अथवा ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा जिससे यह स्पष्ट है कि निर्विवाद रूप से अप्रार्थीगण के पिता अपने जीवनकाल में उक्त आराजी के निर्विवाद रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2018 के अनुसार यह तथ्य सुस्पष्ट है कि मौके पर दोनों पक्षों की खेती होना उल्लेखित है जिससे कब्जा स्वतः साबित है एवं स्वयं अपीलार्थीगण भोली देवी द्वारा स्पष्ट रूप से उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को सही मानते हुए उसकी पुष्टि करते हुए उसकी क्रियान्विति फसल काटने तक स्थगित रखने की प्रार्थना की गई है तथा भोली देवी द्वारा उक्त तथ्य स्वीकार करने से वह धारा 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक स्वीकृत तथ्य है तथा वह अपने कथनों, व्यवहार व आचरण से कानूनन विबन्धित है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई अनियमितता अथवा त्रुटि नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण का राजनैतिक प्रभाव इतना है कि राजस्व कर्मचारी राजस्व

न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति भी बिना पुलिस इमदाद नहीं करवा सकते एवं इस सम्बन्ध में राजस्व कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रयास व लिखे गये पत्र न्यायालय श्रीमान् के अभिलेख पर मौजूद है जिससे इस बात का पता चलता है कि अपीलार्थीगण येनकेन प्रकारेण स्वयं की भूमि में अप्रार्थीगण की भूमि को मिलाकर कभी रास्ते का विवाद बताते है तो कभी स्वयं कब्जा करना चाहते है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली तथा अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार दिनांक 12.04.2016 को प्रकरण तलबी में नियत था और आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.05.2016 नियत की गई है तत्पश्चात् दिनांक 10.05.2016 की कोई आदेशिका पत्रावली में उपलब्ध नही है एवं सीधे ही दिनांक 14.06.2016 को कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मौखमपुरा में पारित किया गया है जबकि प्रकरण में पक्षकारान की सम्यक रूप से तामिल नही हुई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2016 को विधि सम्मत नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर द्वरा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तोवजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय तीन माह पारित पारित करें।

(डॉ0समित शर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर